अध्याय XIII : पर्यटन मंत्रालय

13.1 विज्ञापन अभिकरण को अभिकरण सेवा शुल्क का अनियमित भुगतान

भारतीय पर्यटन के फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अम्सटरडम और मिलान स्थित कार्यालय ने विज्ञापन अभिकरण को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के विपरीत प्रावधान वाले एक कार्य-साधक समझौते के आधार पर अभिकरण सेवा शुल्क का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से मई 2012 तक के दौरान ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

फ्रैंकफर्ट के भारतीय पर्यटन कार्यालय (आई.टी.एफ.) के क्षेत्रीय निदेशक (क्षे.नि.) ने यूरोप क्षेत्र (यू.के. के अतिरिक्त) के फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अम्सटरडम और मिलान स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों के लिए एक संप्रेषण प्रणाली के विकास व क्रियान्वयन हेतु विज्ञापनदाता एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की (जून 2009)। आइ.टी.एफ. का यह कदम भारत को एक पसंदीदा पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने का विचार करता था जिससे भारत के वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्से और विदेशी मुद्रा विनियम से होने वाले अर्जन में वृद्धि हो। पांच एजेंसियों से प्राप्त बोलियों में से आई.टी.एफ. ने तीन एजेंसियों अर्थात मेसर्स सर्विस-प्लान, म्यूनिख, ग्रे कांसेल, फ्रैकफर्ट और वरबीगटूर फ्रैंकफर्ट का अंतिम रूप से चयन किया और एक एजेंसी नियुक्त करने हेतु पर्यटन मंत्रालय को सिफारिश की।

पर्यटन मंत्रालय, विदेशी विपणन विभाग ने मेसर्स सर्विस-प्लान, म्यूनिख को यूरोप क्षेत्र के लिए आई.टी.एफ के लिए विज्ञापनकर्त्ता एजेंसी के रूप में एक वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाने को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (नवम्बर 2009) कि एजेंसी कार्यालय से कोई शुल्क नहीं लेगी और इसे संचार एजेंसियों से कमीशन के रूप में अपना भुगतान प्राप्त होगा। मंत्रालय/आई.टी.एफ. द्वारा प्रदान किए गए क्रिएटिव्स के साथ किए गए प्रचार अभियान का प्रबंध करने के लिए कोई मूल्य प्रभारित नहीं किया जाएगा। जिन सेवाओं पर वास्तविकता में प्रभार लिया जाएगा, उनमें आवश्यक होने पर नए अभिकल्प/क्रिएटिव प्रदान करना, प्रदत्त क्रिएटिव में परिवर्तन करना, पाठ्यवस्तु का अनुवाद, वर्तमान प्रारूप का रूपांत्तर और प्रस्तुतीकरण संबंधी अन्य सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने आई.टी.एफ. को उपरोक्त् शर्त को जोड़ते हुए भारतीय पर्यटन कार्यालय, लंदन, के पुनरीक्षित किए जा चुके समझौते की तर्ज पर एक समझौता तैयार करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आई.टी.एफ. ने मंत्रालय के निर्देशानुसार समझौता किए बगैर मैसर्स सर्विसप्लान की सेवाओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया। एक वर्ष के विलम्ब के बाद और मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर क्षे.नि. आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ एक कार्यकारी समझौता 7 दिसम्बर 2010 को किया जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि विज्ञापन तथा संचार माध्यम की लागत की इनवॉयस प्रति पखवाड़े बनाई जाएगी और भुगतान 14 दिनों के भीतर किया जाएगा जिसमें 15% एजेंसी सेवा शुल्क सम्मिलित होगा।

क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ 16 दिसम्बर 2010 को एक अन्य समझौता भी किया, जो मंत्रालय के निर्देशानुसार भारतीय पर्यटन कार्यालय लंदन (आई.टी.एफ.) द्वारा किए गए समझौते के समान था और जिसमें कोई शुल्क अदा न किए जाने का प्रावधान था, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। सहायक निदेशक (लेखों), आई.टी.एफ. ने 16 दिसम्बर 2010 को हस्ताक्षरित समझौतें के अंतर्गत इनवॉयस के लिए एजेंसी द्वारा शुल्क के दावे के लिए स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि ऐसे भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था । तथापि क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने कार्यसाधक समझौतें के अनुसार शुल्क अदा करने का निर्देश दिया। क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने कार्यकारी समझौते को आगे 11 जनवरी 2011 को नवीकृत कर दिया। हालांकि, 19 जुलाई 2011 को एक अन्य समझौता 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया, परंतु इसे भी लागू नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, आई.टी.एफ. और पेरिस, अम्सटरडम और मिलान के पर्यटन कार्यालयों ने मैसर्स सर्विसप्लान को नवम्बर 2009 से मई 2012 को ₹ 88.67[1] लाख (137860.62 यूरो) के शुल्क का भुगतान कार्यकारी समझौते के आधार पर किया जो मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं था। इसके अतिरिक्त अक्तूबर 2011 से मार्च 2011 की अवधि हेतु शुल्क के लिए ₹18.35 लाख के इनवॉयस का भुगतान मैसर्स सर्विसप्लान को जारी करना लंबित था।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2012 को सूचित किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों (मार्च 2013) के आधारभूत तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया कि:

[1] फ्रैंकफर्ट ₹ 76.62 लाख, पेरिस ₹ 9.45 लाख, अम्सटरडम ₹ 2.28 लाख, मिलान ₹ 0.32 लाख

- निवर्तमान क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ एकपक्षीय रूप से कार्य साधक समझौता किया और मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एजेंसी सेवा शुल्क के रूप में 15% एजेंसी कमीशन अदा करने का प्रावधान सम्मिलित किया।

- दोषी सरकारी कर्मचारी अर्थात निवर्तमान क्षे.नि., आई.टी.एफ., जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक अनुशासनात्मक मामला आरंभ किया जा रहा है और सेवानिवृत्ति की देय राशि का निपटान व्यक्तिगत वसूली संबंधी लेखापरीक्षा आपत्तियों के निबटान होने पर ही की जाएगी ।

- 15% एजेंसी शुल्क घटाकर लंबित बिलों का भुगतान मैसर्स सर्विसप्लान को जारी कर दिया गया है।

- कार्यसाधक समझौते द्वयर्थक होने के कारण और उनकी विश्वसनीयता संदेहप्रद होने के कारण विधि मंत्रालय की सलाह मांगी गई है जिससे मैसर्स सर्विसप्लान द्वारा मुकदमा करने की स्थिति में विधिक सहायता लेने की संभावना पर विचार किया जा सके ।

ये तथ्य मंत्रालय द्वारा क्षे.नि., आई.टी.एफ. की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की कमी की ओर संकेत करते है, जिससे विज्ञापनकर्त्ता एजेंसी की ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में ₹ 18.35 लाख के अदा न किए गए इनवॉयस का भुगतान 15% एजेंसी शुल्क घटाकर जारी किए जाने के मंत्रालय के उत्तर की पुष्टि नहीं हो पाई।